

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वां तल, बी विंग, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक - 24 फरवरी, 2025

परिपत्र

दिनांक 18 सितंबर 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या पी-13013/23/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी के संदर्भ में, यह अधिदेशित किया गया है कि दिव्यांगजनों के लिए नेशनल फेलोशिप (एनएफपीडब्ल्यूडी) सहित इस विभाग की सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) संख्या अनिवार्य है।

तदनुसार, 1 मार्च 2025 से, एनएफपीडब्ल्यूडी योजना के तहत छात्रों (स्कॉलर) के पास यूडीआईडी का होना अनिवार्य होगा। यूडीआईडी कार्ड रखने वाले स्कॉलर एस.एफ.एम. पोर्टल पर सफलतापूर्वक उपयोगकर्ता लॉगिन बना सकेंगे, जबकि बिना यूडीआईडी कार्ड वाले व्यक्ति पोर्टल पर उपयोगकर्ता लॉगिन बनाने से प्रतिबंधित रहेंगे।

(संदीप कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार